

Government of Bihar
Public Health Engineering Department

VERY SHORT TERM-NIT-03 /2026-27
P.H.Division, Motihari

(Through e-procurement mode on www.eproc2.bihar.gov.in)

1	Designation and Address of Advertiser	Executive Engineer P.H. Division, Motihari Belisaray road panitanki, pin 845401
2	Date of issue of Tender Notice	09-07-2026
3	Bid Submission Start Date to Bid Submission Due Date	17.07.26 to 21-07-2026 up to 15:00 Hrs. through www.eproc2.bihar.gov.in
4	Pre-Bid Meeting Start Date To, Pre Bid Meeting End Date	18.07.26 at 11.30 hrs. in the Office of Executive Engineer of P. H. Division, Motihari
5	Last date and time of receipt (uploading) of tender	21.07.2026 up to 16:00 Hrs on www.eproc2.bihar.gov.in
6	Date and time of opening of technical bid	21.07.2026 at 17:00Hrs on www.eproc2.bihar.gov.in
7	Date and time of opening of financial bid	To be informed later after the approval of technical bid.

8 Details of Works:-

Name of Work- Construction of (40 nos) 125mm X 40mm dia X 61 meter deep hand operated T/well with India Mark II Hand Pump with Platform and drain and soak pits for drinking water problems solution due to heat wave and fall in water level in the district East Champaran under P. H. Division, Motihari for the year 2026-27							
SL NO.	Group No.	Quantity	Estimated Cost (in Lakh)	Amount of Earnest Money (in Lakh)	Cost of Tender Document (non-refundable) in Rs.	BSEDC Bid Processing Fee (in Rs.)	Completion Period (In Month)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Group-01 40 Nos. of IM-II Hand Pump with Soak Pit	40 Nos.	37.64	0.755	5000.00	1000+GST	3



9. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय :- तकनीकी बीड निष्पादन के बाद समय एवं तिथि वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर सूचित की जायेगी।
(सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर) निविदा
10. निविदा की वैधता की तिथि :- खोलने की तिथि से 120 दिनों तक
11. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना या अन्य शर्तें कार्यालय के सूचना पट्ट पर अथवा www.prdbihar.gov.in वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
12. ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को www.eproc2.bihar.gov.in पर पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID), पासवर्ड (Password), अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हें वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने/ई-टेंडर की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।

Phmishra
09.07.26

Ahanda
09/07/26
कार्यपालक अभियंता
ब्लॉक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतिहारी
09/07/26

नियम एवं शर्त-

1. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाइट पर ही इलेक्ट्रानिक निविदा पत्र को भरकर भेज सकते हैं। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात यथा अग्रधन की राशि/अन्य सभी प्रमाण पत्र, जो निविदा के लिए आवश्यक है, को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. विभागीय अधिसूचना संख्या 6/वि0-10162/07-552, दिनांक 28.05.2009 के आलोक में समुचित श्रेणी में सूचीबद्ध संवेदक ही निविदा में भाग ले सकेंगे। यह निविदा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मुख्यालय के आदेश के आलोक में आमंत्रित की गयी है तथा समय-समय पर निदेश प्रदत्त निदेश से प्रभावित होगा।
3. बेल्ट्रान का प्रोसेसिंग की + अन्य कर (जो लौटाया नहीं जायेगा) केवल ऑनलाईन भुगतान के रूप में दिया जा सकता है जो कि **Internet Payment gateway(Credit/Debit card) Net Banking NEFT/RTGS** से भुगतान होगा।
4. परिणाम विपत्र का मूल्य (अन्य फीस के साथ जो लौटाया नहीं जायेगा) ऑनलाईन भुगतान के रूप में दिया जा सकता है जो कि **Internet Payment gateway(Credit/Debit card) Net Banking NEFT/RTGS** से भुगतान होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट/चेक जो कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल मोतिहारी के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा मोतिहारी में भुगतेय हो, के रूप में ही स्वीकार किया जायेगा। बैंकर्स ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल मोतिहारी/अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मोतिहारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।
5. अग्रधन की राशि मैनुअल मोड से 5/6 वर्षीय बचत प्रमाण पत्र आठवाँ निर्गम/10 वर्षीय बचत प्रमाण पत्र नौवाँ निर्गम/ किसान विकास पत्र/डाकघर सावधि जमा 3 वर्षीय या 5 वर्षीय पासबुक अथवा वित्त नियमावली के अनुसार जो बिहार राज्य के किसी डाकघर से क्रय एवं जमा किया हो तथा कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल मोतिहारी के पदनाम से क्रमांक 6 में वर्णित किसी पदाधिकारी से प्रतिज्ञापितकरण हेतु प्राप्त आदेश के उपरान्त विधिवत प्रतिज्ञापित को स्वीकार किया जायेगा। एक करोड़ से अधिक के कार्य के लिए किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से निर्गत बैंक गारण्टी जो कार्यपालक अभियंता के नाम से प्रतिज्ञापित हो तथा वीड के कार्य की समाप्ति अवधि से 45 दिन तक के लिए मान्य हो स्वीकार किया जायेगा। यदि बिहार राज्य के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारण्टी दिया जाता है, तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार राज्य स्थित किसी बैंक से निर्गत किया जाना होगा। सशर्त बैंक गारण्टी स्वीकार नहीं होगा। मैनुअल मोड से जमा किये गये अग्रधन से सम्बन्धित मूल अभिलेख/दस्तावेज निविदा के साथ स्कैन कर अपलोड करना तथा निविदा अपलोड के अन्तिम तिथि के अगले कार्य दिवस तक उपर्युक्त कंडिका-6 में वर्णित किसी एक कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
6. वैसे संवेदक जिनके लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन कार्य बकाया है, एवं जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है अथवा ससमय आवंटित कार्य का संपादन नहीं किया गया है तथा उनके पास पूर्व आवंटित कार्यों के निष्कारित लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि 80 प्रतिशत से कम है उन्हें असफल घोषित किया जा सकता है। निविदा में शामिल होने वाले सभी संवेदकों को अनिवार्य रूप से शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि उनके जिम्मे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग स्तर पर कोई कार्य लंबित नहीं है। अगर किसी विभागीय कारण से भी किसी एकरारनामा का कार्य लम्बित है तो इसकी सूचना प्रतिशपथ में दिया जाना अनिवार्य होगा। गलत शपथ पत्र दिये जाने पर कानूनी कार्रवाई करते हुए अग्रधन की राशि राज्यसात कर ली जायेगी।
7. सफल निविदाकार को लोक निर्माण संहिता में निर्धारित समय अवधि के अंदर एकरारनामा सम्पन्न कर कार्य प्रारंभ कर देना होगा। इससे भिन्न स्थिति में उनकी निविदा रद्द कर अग्रधन की राशि जब्त करने की कार्रवाई, बिना किसी पृच्छा के प्रारंभ कर दी जायेगी।
8. निविदा में सफल होने एवं कार्य आवंटन होने के पश्चात् समय सीमा के अन्दर कार्य काने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, तो निविदा के साथ जमा अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं पुनर्निविदा की स्थिति में उन्हें निविदा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
9. सफल निविदाकारों को एकरारनामा के पूर्व वैट स्वच्छता, विज्ञापित कार्य अनुरूप आवश्यक श्रम संबंधी अनुज्ञापित भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियम) अधिनियम 1996 अन्तर्गत पंजीकरण आदि जमा करना होगा। इसके अभाव में होने वाले प्रतिकूल परिस्थिति के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।
10. निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत (1%) उपकर की कटौती संवेदक के विपत्र से की जायेगी।
11. स-समय कार्य समाप्ति की बाध्यता संवेदक की होगी।

12. वैसे संवेदक जिनका कोई भी संबंधी प्रमंडलीय लेखापाल या कनीय अभियंता से अन्यून पक्ति के पदाधिकारी के रूप में अंचल अन्तर्गत कार्यरत है, निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
13. किसी प्रकार के शुद्धिपत्र को वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर प्रकाशित किया जायेगा।
14. प्राक्कलित राशि से कम दर उद्धृत करने वाले निविदादाताओं को एकरानामा के समय नियमानुकूल अतिरिक्त जमानत की राशि (Additional Performance Guarantee) जमा करना होगा।
15. कार्य की प्राक्कलित राशि, अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। निविदा आमंत्रण सूचना में अंकित अग्रधन की राशि पर ही मान्य होगा। शेष राशि एकरानामा के समय जमा करना अनिवार्य होगा।
16. एक निविदादाता अधिकतम 2 (दो) गुप्तों की निविदा में भाग ले सकेंगे। 2 (दो) से अधिक गुप्तों में भाग लेने पर गुप्त संख्या के क्रम में उनके प्रथम 2 (दो) गुप्तों में ही उन्हें तकनीकी रूप से योग्य माना जायेगा।
17. निविदा के समय संवेदकों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे किसी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड/निविदा से Debar नहीं किये गये हैं एवं उनका कोई कार्य "Rescinded" नहीं हुआ है। शपथ पत्र की मूल प्रति अग्रधन राशि के साथ जमा करना होगा। यह शर्त निविदा निष्पादन की तिथि तक मान्य होगा।
18. सभी शपथ पत्र संवेदकों को निबंधन उत्पाद एवं मद निषेध विभाग, बिहार सरकार के अद्यतन अधिसूचना के आलोक में 100.00 (एक सौ) रुपये के स्टाम्प एवं 5.00 (पांच) रुपये के एडवोकेट फंड के स्टाम्प पेपर पर देना अनिवार्य होगा।
19. निविदा डालने से पूर्व सभी निविदादाता कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
20. प्राक्कलित राशि विशेष परिस्थिति में घट या बढ़ सकती है।
21. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/विभाग को सुरक्षित है।
22. सशर्त निविदा अमान्य होगी।
23. संवेदक "Scan" कर मूल कागजातों को "Upload" करने पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे, ताकि किसी खास कागजात को क्रम संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी Documents PDF, MS Office (Compatibility mode), JPEG, ZIP Format में ही Upload किया जाय, अन्य format में Uploaded documents के Download/Open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
24. इंटरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध में संवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को सलाह दी जाती है कि समय से पूर्व ही www.eproc2.bihar.gov.in पर वीड को Upload एवं आवश्यक ऑनलाईन भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
25. यह निविदा भू-जल स्तर में गिरावट के कारण साधारण चापाकल अकार्यरत होने के स्थिति से निपटने हेतु साधारण चापाकलों एवं पुराने बंद (Defunct) चापाकलों के आस-पास तथा अन्य स्थानिय अवश्यकताओं के आलोक में चापाकलों का निर्माण कार्य किया जाना है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही कि स्थिति में संबंधित संवेदक पर कठोर कार्रवाई संशित कि जायेगी।
26. Toll Free Number: 1800 572 6571 Email Id: eproc2support@bihar.gov.in Working Hours: 8AM to 7PM (All days in week except few selected state holidays) eProc 2.0 Help Desk Address: mjunction services limited RJ Complex, 2nd Floor, Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiana Road, P.S. - Shastri Nagar, Patna 800 014, Bihar
27. Deposit of additional performance guarantee for serious unbalanced rate :-
The tenderer quoting serious unbalanced rate will have to furnish the rate analysis of the work along with the reason as how the work will be finished in the stipulated time frame and they will have to deposit additional performance guarantee money at the time of agreement as per prevailing fuel for example :-
If 0 to 5% less than the BOQ rate additional performance guarantee will be @ 0.25% for every 1% less rate.
If 5 to 10% less than BOQ rate additional performance guarantee will be @ 0.5% for every 1% less rate.
28. 50% Similar Nature of Work Experience.
29. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशालोक में कार्य का निष्पादन किया जायेगा।
30. कार्य स्थल पर श्रमिकों जानमाल, एवं अन्य पारिस्थितिक संरक्षा की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।
31. सरकार द्वारा पर्यावरण सुरक्षा, संरक्षा, संबंधित सारी शर्तें लागू होगी।
32. कार्य की मात्रा/सं० तथा राशि विभागीय निदेशालोक में बढ़/घट सकती है।
33. निविदा को किसी समय बिना कारण के निरस्त किया जा सकता है।

Phmishma
09.07.26

Phgndam
09/07/26

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतिहारी